



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 311 /रेनुकूट /15 -27 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई, 28, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 कें०वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० को 25 वर्षों हेतु (दिनांक- 15.10.1998 से 15.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे० वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षों हेतु (दिनांक- 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/41830/2019)

संदर्भ- 1-उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू०पी०/०४/३२/२०२२/एफ०सी०/१०१६ दिनांक- 31.03.2023
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3162/११-सी- FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक-03.04.2023

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 31.03.2023 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण एवं विभाग द्वारा करते हुए बिन्दुवार सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र०सं०	उप वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू०पी०/०४/३२/२०२२/एफ०सी०/१०१६ दिनांक- 31.03.2023 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	As per DSS report partial plantation activity has been observed in the proposed CA area of Jogendra-II, III, 10-11, Viyahawa-3 & 5. This need rectification/clarification .	इस दोनो बिन्दुओं के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि 106.00 हे० का चयन करते हुए उससे संबंधित जियो रेफरेंस मानचित्र, टोपोग्राफी एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के०एम०एल० फाइल पूर्व में प्रेषित की गयी है । चयनित अवतन वन भूमि के आंशिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियाँ होने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके क्रम में इसकी स्थलीय जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरो से करायी गयी । जाँचोपरान्त यह पाया गया है कि चयनित अवतन वन भूमि के जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियाँ होने का उल्लेख किया गया है वह क्षेत्र वृक्षारोपण क्षेत्र न होकर लैण्डाना की झाड़ियाँ हैं । प्रश्नगत क्षेत्र में कोई वनीकरण कार्य नहीं किया गया है । चयनित क्षेत्रों का के०एम०एल० फाइल संशोधित करा दिया गया है ।
2	As per the DSS analysis previous KML file and revised KML file is same. This needs rectification/clarification .	
3	Legal Status of the land on which Aluminum	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि एल्युमिनियम

	plant is located needs to be intimated .	प्लान्ट का चिन्हित क्षेत्र वर्ष 1980 के पूर्व उ०प्र० सरकार के आदेश संख्या- बी-1920/14-1079/59 दिनांक- 10.03.1960, आदेश संख्या- 5496/14-ए-679/60 दिनांक- 20.10.1960 तथा आदेश संख्या- 4399/14-ख-601/69 दिनांक- 15.07.1971 द्वारा संस्थान को सेल डीड के आधार पर हस्तान्तरित क्षेत्र 1093.35 एकड़ का हिस्सा है । उ०प्र० सरकार द्वारा जारी उक्त ओदशो के अनुपालन मे सम्पादित सेलडीड के अनुसार यदि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रशगनत वन भूमि की आवश्यकता नही होगी तो उसे वन विभाग उ०प्र० सरकार को वापस हो जायेगी ।
--	--	---

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 311 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को मे सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में उच्च/सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए नवीनीकरण कराने के संबंध मे अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट